राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक आर.2204–दो / 13 जिला–.पन्ना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11–9–14	आवेदक की ओर से श्री कुंवरसिंह कुशवाह, अभि. तथा अना. शासन की ओर से श्रीमती नीना पाण्डे, शास.अभि. उप. । आवेदक अभि. इस प्रकरण को अब आगे चलाना नहीं चाहते । उनके इस तर्क से शास. अभि. भी सहमत हैं । अतः यह प्रकरण आवेदक अभि. के निवेदन पर इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । प्रकरण इस न्यायालय में नस्तीबद्ध होकर दाखिल रिकार्ड हो। (एम.के.सिह) सदस्य	

श्रीमान् राजस्व मण्डल महोदय, ग्वालियर (म0प्र0)

प्रकरण क्र0–

R. 2204-II/13

श्रीकान्त दीक्षित आत्मज स्वं. श्री भास्कर दीक्षित, आयु 45 वर्ष, निवासी–टिकुरिया मोहल्ला पन्ना, तह0 व जिला–पन्ना (म0प्र0)......... पुनरीक्षण कर्त्ता /आवेदक

बनाम

कलेक्टर महोदय, पन्ना, जिला–पन्ना (म0प्र0)

.........प्रत्यर्थी/अनावेदक

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 सहपठित धारा 32 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध बैठक दिनॉक 23.05.2013 में लिये गये एक पक्षीय निर्णय के परिप्रेक्ष्य में जारी किये गये आदेश दिनॉक 4.6.2013 जारी किया गया से उद्‌भूत

महोदय,

पुनरीक्षण कर्त्ता/आवेदक का मान्नीय न्यायालय से निम्नलिखित निवेदन है :–

प्रकरण के तथ्य

01. यह कि आवेदक को मध्य प्रदेश गोंण खनिज नियम 1996 के तहत् फर्सी पत्थर, उत्खनन पट्टा पत्र दिनॉक 02.02.2005 से 01.02.2015 तक के लिये निजी भूमि स्वामित्व की आराजी खसरा क्र0 348/13 रकवा 1.315 हे0 तथा ग्राम जमुनहाइं स्थित आराजी खसरा क्र0–26 पुराना खसरा नम्बर 47,48 रकवा 4.00 हे0 का उत्खनन पट्टा दिनॉक 17.08.2006 से 16.08.2016 तक के लिये एवं ग्राम मॉझा (पन्ना) स्थित आराजी खसरा क्र0–20/2 रकवा 2.00 हे0 का उत्खनन फर्सी पत्थर पट्टा दिनॉक 20.03.2008 से 19.03.2018 तक के लिये स्वीकृत किया जाकर अनुबन्ध विलेख का निष्पादन एवं पंजीयन होने के उपरान्त मौके पर स्वीकृत क्षेत्र का सीमांकन कर कब्जा एवं भू–प्रवेश के साथ–साथ कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई थी किन्तु पूर्व सांसद एवं विधायक श्री लोकेन्द्र सिंह द्वारा आवेदक के परिवार से राजनैतिक रंजिश मानने तथा श्री लोकेन्द्र सिंह द्वारा अवैध रूप से सीलिंग में भूमि जाने से बचाने के लिये अपनी पत्नी के नाम भूमि दर्ज करा लेने व वन भूमि को अवैध रूप से विक्रय कर देने की सूचना पुनरीक्षण कर्त्ता द्वारा देने से जॉच में शिकायत सही पाये जाने पर श्री लोकेन्द्र सिंह की पत्नी के नाम से दर्ज प्रविष्टि को निरस्त किये जाने के कारण एवं श्री लोकेन्द्र सिंह के विरूद्ध पुनरीक्षण कर्त्ता के परिवाद पर धारा 500, 501 भा.द.वि. का मामला पंजीबद्ध होने से पुनरीक्षण कर्त्ता से व्यक्तिगत द्वेष मानने से एक ही बिन्दु पर जिस पर कि अनेको बार सीमांकन व जॉच हो चुकी है व जॉच असत्य पाई गई है किसी नये आधार के उन्हीं शिकायतों की पुनरावृत्ति मात्र से कलेक्टर महोदय पन्ना द्वारा शिकायत कर्त्ता के विरूद्ध असत्य शिकायत पाये जाने पर कोई कार्यवाही न कर मात्र श्री लोकेन्द्र सिंह को प्रसन्न करने के लिंये पुनरीक्षण कर्त्ता को नुकसान पहुँचाने के आशय से बार–बार सीमांकन कार्यवाहियॉ दुर्भावना पूर्वक कराये जा रहे हैं जबकि पुनरीक्षणकर्त्ता के उत्खनन पट्टों को वन भूमि बताकर अपने प्रभाव के कारण श्री लोकेन्द्र सिंह द्वारा बनवाये गये वन अपराध प्रकरण मान्नीय उच्च न्यायालय द्वारा **Quesh** कर दिये जाने के बाद श्री लोकेन्द्र सिंह की शिकायत की पुनरावृत्ति मात्र से कलेक्टर महोदय ने निर्देश देकर दि0 4.6.2013 को अपने अधीनस्थ प्रभारी अधिकारी खनिज से पुनः सीमांकन करने हेतु आदेश जारी कराया से उद्‌भूत पुनरीक्षण आवेदन निम्न आधारों पर मान्नीय महोदय के समक्ष प्रस्तुत है :–

पुनरीक्षण के आधार

02. यह कि क्षेत्रीय प्रमुख संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म क्षेत्रीय कार्यालय रीवा ने श्री लोकेन्द सिंह द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी से की गयी शिकायत के उपरान्त पुनरीक्षणकर्त्ता के उत्खनन स्थलों का निरीक्षण ,सीमांकन व जॉच किया था तत्पश्चात उनके द्वारा प्रतिबेदित किया गया था कि कलेक्टर पन्ना द्वारा वर्ष 2009 एवं 2011 में वन खनिज एवं राजस्व अधिकारियों से संयुक्त सर्वेक्षण एवं सीमांकन कराया श्री लोकेन्द्र सिंह की सभी शिकायतें असत्य पाई गई वर्तमान में भी जॉच के दौरान शिकायत में उल्लेखित तथ्य सही नहीं पाये गये इसलिये शिकायत पश्चात् बार–बार कार्यवाही को पुनः दोहराना